तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/7621/2006/अलवरव** **रामजीवन उर्फ रामजीलाल बनाम रामकरण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2021	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अप्रार्थी के बीफ़ होल्डर। **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर दिनांक 08.08.2006 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम प्रेमपुरा में स्थित आराजी ख0न0 28 रकबा 17 ऐयर में से रकबा 8 ऐयर भूमि का आंटन अपीलांट को दिनांक 17.06.02 को किया गया। रेस्पो0संख्या 1 ने अपीलांट के पक्ष में हुये आवंटन आदेश के विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4)के तहत प्रस्तुत कर आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया। जिसे न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.03 से अस्वीकार कर दिया। रेस्पो0संख्या1 ने उक्त निर्णय से ग्रसित होकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 08.08.2006 से स्वीकार करते हुये अपीलांट का आवंटन आदेश दिनांक 17.06.02 को निरस्त कर दिया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पो0 ने अपना प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) में यह कथन कहा है कि वक्त आवंटन विवादित भूमि अनओक्यूपाइड भूमि नहीं थी। विवादित भूमि पर आवंटन के समय रेस्पो संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/7621/2006/अलवरव** **रामजीवन उर्फ रामजीलाल बनाम रामकरण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रहा था। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी पर से रेस्पो0 को बेदखल करने के पश्चात ही विवादित भूमि का आवंटन किया जा सकता था। विद्वान अभिभाषक तर्क दिया कि प्रथम तो रेस्पो0 1 यह सिद्व नहीं कर पाया कि विवादित आराजी पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस संबंध में उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी जिससे यह साबित होता हे कि वक्त आवंटन विवादित आराजी पर रेस्पो0 1 का कब्जा हो। फिर भी यदि आवंटन किये जाते समय सिवायचक भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा हो तो ऐसा व्यक्ति अतिक्रमी की हैसियत से होगा। ऐसी भूमि आवंटन योग्य मानी जाती है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन पूर्ण जांच पडताल करने के पश्चात नियमानुसार किया गया है जिसे अपील अधिकारी ने अपने विधि विरूद्व आदेश से निरस्त कर दिया। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी और ना किसी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की गई जबकि विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिन बाद आवंटन की कार्यवाही की जाती है। आवंटन के बाद से आज दिनांक तक आवंटी का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है बल्कि रेस्पो0 का ही विवादित आराजी पर आज दिन तक कब्जा चला आ रहा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि विवादित आराजी पर रेस्पो0 का ही कब्जा है उसे बेदखल नहीं किया गया और ना ही इस बाबत उसे नोटिस दिया गया। जब रेस्पो0 को बेदखल नहीं किया जाता तब तक भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/आवंटी का आवंटन निरस्त किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/7621/2006/अलवरव** **रामजीवन उर्फ रामजीलाल बनाम रामकरण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उभयपक्ष क विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के पूर्ण विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

'' ख0न0 26/776, 27, 28 आपस में मिले हुये जैसा प्रस्तुत नक्शे में दर्शाया गया है। ख0न0 26/776, 27, ,28 अपीलांट व रेस्पो के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जैसा कि जमाबंदी संवत 2054 से जाहिर है तथा दि0 04.7.2002 की जांच रिपोर्ट गिरदावर व दि0 04.7.02 की जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का से स्पष्ट है कि ख0न0 26/776 पर रेस्पो0 रामजीवन का कब्जा है व ख0न0 27, 28 पर रामकरण अपीलांट का कब्जा है। मौके पर तरफ पूर्व रामजीलाल का कब्जा है तथा पश्चित को रामकरण का कब्जा है। तहत अदालत की पत्रावली में विद्वान अति0 कलेक्टर(प्रथम) अलवर का एक पत्र क्रमांक कोर्ट/प्र0स0/15/54/02/1149 दि0 09.08.02 संलग्न है जिसमें तहत अदालत ने अंकित किया है कि '' भूमि आंवटन के समय तहसीलदार, गिरदावर, काननूगो एवं पटवारी द्वारा मौका की जांच नहीं की गई एवं आवंटन के पश्चात दिनांक 04.07.02 को मौका की जांच करायी गयी जिसमें पक्षकारों के बीच विवाद बढा है। अतः इस कृत्य के लिए तहसीलदार राजगढ़, गिरदावर, काननूगो एवं पटवारी संयुक्त रूप दोषी है। '' जिसके लिए जिला कलेक्टर अलवर को उक्त पत्र प्रेषित कर उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिए निवेदन किया है। इन सभी तथ्यों एवं परस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि आवंटनशुदा भूमि पर वक्त आवंटन अपीलांट का कब्जा था और आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई । आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है जो मेरी विनम्र राय में निरस्त किये जाने योग्य है।''

प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस आवंटन के संबंध में निर्धारित आवंटन प्रक्रिया की पूर्ण पालना की गयी है या नहीं। इसकी पूर्ण जाचं व परीक्षण अपेक्षित है। इसके साथ ही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल0आर0/7621/2006/अलवरव** **रामजीवन उर्फ रामजीलाल बनाम रामकरण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटी की पात्रता की स्थिति व आवंटन की शर्तो की भी पूर्ण पालना की गयी है या नहीं इसकी पूर्ण जांच व परीक्षण अपेक्षित है।

परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, प्रथम अलवर का निर्णय दिनांक 22.04.2003 व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 08.08.2006 अपास्त किये जाते है। उक्त वर्णित ओब्जर्वेशन को मध्यनजर रखते प्रकरण न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, प्रथम अलवर को इस निर्देश के साथ प्रेषित करते कि वे उभयपक्ष को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये सभी संबंधित राजस्व रिकार्ड की जांच व परीक्षण करने के उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, प्रथम अलवर के समक्ष दिनांक..... को उपस्थित होवें।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(**रामनिवास जाट**)
सदस्य